पाठ्यपुस्तक विश्लेषण

राजस्थान में सामाजिक-राजनीतिक जीवन के अध्ययन की शुरुआत : एक समीक्षा

लतिका गुप्ता

लेखक परिचय

डॉ. लतिका गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में शैक्षिक सिद्धान्त पढ़ाती हैं।

भारत में हमेशा से ही राज्यों की अपनी पाठ्यपुस्तकों के इस्तेमाल की परंपरा रही है। राज्य परिषदें/संस्थान अपनी पुस्तकें विकसित करती एवं छापती रही हैं। राज्य सरकारों से हाल के वर्षों में यह उम्मीद रही है कि वे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधार पर नई पाठ्यपुस्तकें विकसित करेंगी। कुछ राज्यों ने पाठ्यपुस्तक निर्माण की प्रक्रिया को संपन्न किया है। जैसे, केरल, बिहार, झारखण्ड इत्यादि। हाल ही में आईसीआईसीआई फाउण्डेशन के साथ मिलकर राजस्थान सरकार ने भी कुछ विषयों की नई पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया है। इस लेख में उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण का आधार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उठाए गए बिन्दु, विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण एवं उसकी अनुशंसाएं हैं।

संदर्भ

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में जिन पांच मार्गदर्शक सिद्धांतों पर बल दिया गया है उनमें से पहला है 'ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना' और दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि 'पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो'। सामाजिक विज्ञान के विषयों के लिए इन सिद्धांतों के निहितार्थ निकालते समय इस बात पर जोर दिया गया कि पाठ्यसामग्री का चयन इस तरह से हो कि विद्यार्थियों में समाज के प्रति आलोचनात्मक समझ का विकास हो (एनसीईआरटी, 2006 पृ. 57)। इस तरह की पाठ्यसामग्री के चुनाव में निहित चुनौती को भी पाठ्यचर्या के दस्तावेज में पहचाना गया और 'शिक्षा बिना बोझ के' (एनसीईआरटी, 1994) रपट की अनुशंसाओं के लागू किए जाने पर जोर दिया। भारत सरकार द्वारा स्कूली बोझ की समस्या पर गठित समिति की इस रपट में एक अनुशंसा थी कि सामाजिक विज्ञान के विषयों को सूचना और तथ्यों की पोथी बनाने की बजाय संज्ञानात्मक समझ विकसित करने का माध्यम बनाना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि विद्यार्थियों को जानकारी रटाने की जगह अवधारणाओं एवं घटनाओं की समझ बनाने के मौके दिए जाएं और उनमें सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ के विश्लेषण की क्षमता विकसित हो। इस अनुशंसा का पालन करते हुए सामाजिक विज्ञानों के अध्यापन को लेकर गठित राष्ट्रीय फोकस समूह (एनसीईआरटी,

2007) ने पाठ्यक्रम के लिए कुछ बुनियादी बिंदुओं को व्यक्त किया। पाठ्यपुस्तकें जिज्ञासा जगाएं, बच्चों को जांच पड़ताल के अवसर प्रदान करें, सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर विचार करने के अवसर दें, घटनाओं और मुद्दों की चर्चा में स्त्री-परिप्रेक्ष्य अंतरंग रूप से शामिल हो एवं नागरिक शास्त्र विषय को पुनः संकल्पित करते हुए उसकी विषयवस्तु एवं नाम में परिवर्तन किया जाए।

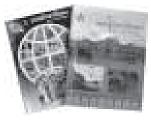
सामाजिक विज्ञानों के राष्ट्रीय फोकस समूह ने यह स्पष्ट किया कि माध्यमिक स्तर पर मुख्य बल समकालीन भारत पर होना चाहिए तथा विद्यार्थी को भारत की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों की समझ विकसित कराई जानी चाहिए। ज्ञान-मीमांसीय बदलाव के अनुसार समकालीन भारत की चर्चा को बहु-परिप्रेक्षीय बनाया जाना चाहिए जिसमें आदिवासी, दलित एवं अन्य वंचित समूहों के अनुभव भी शामिल हों। इस समूह की रपट में पठन सामग्री को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ने पर जोर दिया गया। इसी से जुड़ी हुई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की यह सिफारिश थी कि देश का हरेक राज्य उपरोक्त वर्णित सिद्धांतों एवं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करे और स्थानीय संदर्भ में ज्ञान को संकल्पित करते हुए पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करे। इस कार्य को करने का मुख्य जिम्मा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्/संस्थान का है जिसमें पाठ्यपुस्तक लेखन को विकेंद्रीकृत करने की सिफारिश की गई। 'विचार और व्यवहार में नवाचार' शीर्षक के साथ अध्याय 5 में पाठ्यपुस्तक लेखन की चुनौतियों को पहचानते हुए राज्य परिषदों को इस बात के प्रति सचेत किया गया है कि ''पाठ्यपुस्तक लिखने में काफी सामर्थ्य की आवश्यकता होती है जिसमें अकादमिक और शोध निवेश, बच्चों के विकास की समझ, संप्रेषण कौशल व डिजाइन आदि की समझ भी आती है'' (एनसीईआरटी, 2006 पृ. 133)।

हाल ही में, राजस्थान की राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ने आईसीआईसीआई फाउंडेशन के साथ मिलकर उच्च प्राथमिक स्तर पर पढाई जाने वाली सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों का पुनःनिर्माण किया। ''इसका आधार था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एवं सामाजिक विज्ञानों के अध्यापन को लेकर गठित राष्ट्रीय फोकस समूह (एनसीईआरटी, 2007) की अनुशंसाएं एवं सिफारिशें।'' राजस्थान के राज्य संस्थान एवं आईसीआईसीआई फाउंडेशन के द्वारा जारी दस्तावेज 'परस्पैकटिव टू सोशल साइंस टीचिंग इन राजस्थान एण्ड सिलेबस गाइडलाइंस' के अनुसार राजस्थान में स्कूली शिक्षा में सामाजिक विज्ञानों के मुद्दों पर चिंतन करने एवं कक्षा 6, 7 एवं 8 के लिए नई पुस्तकों के फोकस को तय करने हेतु व्यापक स्तर पर मंत्रणा की गई। इस मंत्रणा में राजस्थान के अपने एवं अन्य राज्यों से 59 विशेषज्ञों ने भाग लिया। मंत्रणा में इस बात पर चर्चा हुई कि राजस्थान के संदर्भ में कैसी पाठ्यपुस्तकें प्रभावशाली रहेंगी। इसके लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एवं शिक्षा के अधिकार कानून के संदर्भ को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया। यह कानून बाल केंद्रित सीखने एवं सिखाने की प्रक्रियाओं को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाता है। इसी प्रक्रिया में पंजाब, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की पाठ्यपुस्तकों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। इस प्रक्रिया में से एक ड्राफ्ट दस्तावेज ''राजस्थान में सामाजिक विज्ञान का शिक्षण'' निकला। इस दस्तावेज में राजस्थान में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण पर परिप्रेक्ष्य, पाठ्यक्रम मार्गदर्शिका एवं पाठ्यपुस्तकें तैयार करने की संदर्शिका बनाई गई। इस प्रक्रिया में स्कूली शिक्षक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं डाइट के सदस्य राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ एवं राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षक शामिल थे।

राजस्थान में निर्मित सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तकें

उपरोक्त प्रक्रिया के तहत दो साल की मंत्रणा के बाद कक्षा 6 एवं 7 के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें तैयार की गईं। प्रत्येक कक्षा की पुस्तक में तीनों विषयों के पाठ माजूद हैं। पाठ्यपुस्तकों में पहले भूगोल फिर सामाजिक और राजनीतिक जीवन और उसके बाद इतिहास विषय के हिस्से दिए गए हैं। पुस्तक के शुरुआती पृष्ठों में निर्माण समितियों का ब्यौरा दिया गया है जिससे पता चलता है कि सामाजिक और राजनैतिक जीवन विषय की समिति में महाविद्यालयों एवं एसआईईआरटी के व्याख्याता, सहायक आचार्य एवं माध्यमिक विद्यालयों के प्राध्यापक शामिल थे। कक्षा 6 एवं 7 की पाठ्यपुस्तक समितियों के सदस्यों में मामूली अंतर है। एसआईईआरटी के एक व्याख्याता अलग





हैं एवं एक सेवानिवृत्त प्राध्यापक अलग हैं। इस उप-समिति एवं संपूर्ण सामाजिक विज्ञान की समिति में राजस्थान की विभिन्न गैर-सरकारी संस्थाओं, मीडिया समूहों एवं अन्य पेशों जैसे वकालत या पंचायती राज से जुड़े एकटिविस्ट समूहों से कोई प्रतिभागी नहीं हैं। कक्षा 6 की पुस्तक में करीब 30 प्रतिशत पाठ और कक्षा 7 की पुस्तक में करीब 26 प्रतिशत पाठ सामाजिक और राजनैतिक जीवन विषय के हैं। प्रस्तुत लेख में इस विषय के पाठ्यक्रम एवं पाठों पर विश्लेषणात्मक टिप्पणी की गई है।

पाठ्यपुस्तकें लिखने की प्रक्रिया को दिशा देने के लिए तीनों विषयों का एक ड्राफ्ट पाठ्यक्रम तैयार किया गया था। इस दस्तावेज में सामाजिक और राजनैतिक जीवन विषय का पाठ्यक्रम जिस परिप्रेक्ष्य के साथ एवं अकादमिक ढांचे में विकसित किया गया है उस पर विस्तृत चर्चा की गई है। भूगोल, इतिहास एवं सामाजिक और राजनैतिक जीवन को सामाजिक विज्ञान के तीन घटकों की तरह प्रस्तुत किया गया है। 'विषय' शब्द का उपयोग बिल्कुल किया ही नहीं गया है। पाठ्यक्रम के दस्तावेज के अनुसार सामाजिक और राजनैतिक जीवन विषय भूगोल एवं इतिहास के विषयों की पृष्ठभूमि तैयार करता है और भारत के राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के उत्थान की प्रक्रिया को तीनों घटक मिलकर संबोधित करते हैं।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से व्यतिक्रम

पाठ्यक्रम में इस शीर्षक से एक बिंदु दिया गया है जिसके तहत यह दावा किया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के सामाजिक और राजनैतिक जीवन का घटक उच्च प्राथमिक कक्षाओं की जरूरत से ज्यादा विस्तृत है। इस दावे को पुष्ट करने के लिए दस्तावेज में कॉगनेटिव मनोविज्ञान या शैक्षिक सिद्धांत के किसी भी सैद्धांतिक बिंदु का सहारा नहीं लिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के सामाजिक और राजनैतिक जीवन के पाठ्यक्रम को जरूरत से ज्यादा विस्तृत कहने-मानने के कथन को प्रमाणित नहीं किया गया है। हालांकि शुरू में यह लिखा गया है कि 2005 की पाठ्यचर्या की मूल बातों को माना गया है। व्यतिक्रम का दूसरा बिंदु है राजस्थान की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिकता पर जोर। इस बिंदु को व्यतिक्रम कहना सरासर गलत है क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 स्वयं एक से ज्यादा पुस्तकों के इस्तेमाल एवं स्थानीय संदर्भ में लिखी पुस्तकों के इस्तेमाल पर जोर देती है। इस अनुशंसा के पालन हेतु हाल के वर्षों में राष्ट्रीय परिषद् ने कई राज्यों को अकादमिक सहयोग एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वित्तीय सहयोग दिया है।

राजस्थान के दस्तावेज में दिए गए व्यतिक्रम के अन्य दो बिंदु हैं अतिरिक्त प्रशासनिक एवं विकास के मुद्दों पर आधारित जानकारी की अधिकता एवं राजस्थान में विकसित समाज विज्ञान की पढ़ाई के ढांचे एवं लक्ष्यों का अनुपालन। प्रशासनिक एवं विकास के मुद्दों की जानकारी पर जोर पुराने विषय नागरिक शास्त्र में था जिसकी आलोचना यशपाल समिति रपट (भारत सरकार, 1994) ने की थी और भारत के समकालीन संघर्षों पर आधारित नए विषय की संकल्पना की अनुशंसा की थी। इस रपट में नागरिक शास्त्र विषय की विषयवस्तु में निहित प्रशासनिक जानकारी की सबसे गहरी आलोचना थी कि ऐसी जानकारी देने से लोकतंत्र की समझ नहीं बनती है और न ही उसके लिए जरूरी दृष्टिकोण विकसित होते हैं। लेकिन राजस्थान में इस रपट की अनुशंसाओं को गंभीरता से नहीं लिया गया। पाठ्यक्रम दस्तावेज में इस रपट का जिक्र भी नहीं है जिसके आधार पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में सामाजिक विज्ञान के विषयों को पुनः कल्पित किया गया।

इतिहास एवं भूगोल की विषयवस्तु से सामाजिक और राजनैतिक जीवन की विषयवस्तु को समेकित किए जाने के लक्ष्य की चर्चा है लेकिन यह कैसे क्रियान्वित होगा इसका विवरण नहीं दिया गया है। हांलाकि इस दस्तावेज में पाठ्यपुस्तक लेखन के लिए मार्गदर्शिकाएं देने का दावा भी किया गया है। सामाजिक और राजनैतिक जीवन विषय की विषयवस्तु को 50 कक्षायी भाषणों एवं 10 परियोजना इत्यादि आधारित अंतःक्रियाओं के लायक माना गया है। विविधता, भेदभाव एवं असमानता उप-विषयों के उदाहरण से पाठ्यक्रम के ढांचे को समझा जा सकता है।

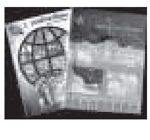
विविधता की इकाई की कल्पना निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर पाठ्यक्रम में की गई है:

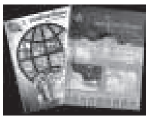
इकाई	उप-विषय	लक्ष्य	अधिगम के बिंदु
1. विविधता एवं एकता (7 कालांश)	• एकता एवं विविधता एक दूसरे के पूरक के रूप में • विविधता इंसानी जीवन के तथ्य के रूप में • विविधता हमारे जीवन में क्या जोड़ती है • भारत में विविधता खासकर राजस्थान में • भारतीय संविधान एवं विविधता के प्रति इज्जत	• एक विविधता भरे समाज में यह अत्यावश्यक है कि बच्चे इस तथ्य से परिचित हों। इससे बच्चे विविधता की इज्जत करने के लिए तैयार होंगे एवं सहिष्णु बनेंगे।	विद्यार्थीः • अपने दैनिक वातावरण में विविधता के रूपों को समझने एवं उसके गुण पहचानने लायक बनेंगे • पारस्परिक निर्भरता एवं अनेकत्व के प्रति संवेदनशील बनेंगे • विविधता को मानव की अनिवार्य एकता के प्राकृतिक अभिव्यक्ति के रूप में देखेंगे। • समझेंगे कि भारतीय संविधान हमसे विविधता की इज्जत करने की मांग करता है।
2. भेदभाव और असमानता (5 कालांश)	• अंतर एवं पूर्वाग्रह • रूढ़छवि • भेदभाव और असमानता • जेंडर, जाति, क्षेत्र, शारीरिक क्षमताओं एवं धर्म आधारित भेदभाव • अपनी कई अस्मिताओं को पहचानना	• बच्चे के लिए यह पहचानना जरूरी है कि एक तरफ विविधता और दूसरी तरफ भेदभाव और असमानता में अंतर होता है।	विद्यार्थी : समझेंगे कि विविधता से विरोध उत्पन्न होते हैं। समझेंगे कि कैसे पूर्वाग्रहों से भेदभाव बढ़ता है। विविधता एवं असमानता के बीच का अंतर समझेंगे। पहचानेंगे कि हमारे अंदर कई अस्मिताएं होती हैं जिनका इस्तेमाल हम अलग-अलग संदर्भों में करते हैं।

राजस्थान के पाठ्यक्रम में सामाजिक और राजनैतिक जीवन विषय पढ़ाने के उद्देश्यों को व्यक्त नहीं किया गया है। कुछ बिंदुओं का उल्लेख है जिनमें सामाजिक प्रक्रियाओं एवं विकास तथा प्रशासन को समझने पर जोर है लेकिन व्यक्त रूप से संविधान के आदर्शों और रोजमर्रा के जीवन में उनसे जुड़े संघर्षों का जिक्र नहीं है। आलोचनात्मक विश्लेषण, समाज के वंचित समूहों के दृष्टिकोण से सोच पाने की जरूरत एवं यह पहचान पाने पर भी जोर नहीं है कि राजनीति हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे प्रभावित करती है। अगले हिस्से में राजस्थान की सामाजिक और राजनैतिक जीवन पाठ्यपुस्तकों का एक शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत है जो तीन उप-विषयों विविधता, भेदभाव तथा असमानता के पाठों पर आधारित है। इस विश्लेषण को करते समय सामाजिक और राजनैतिक जीवन के लक्षित पाठकों, 11-12 वर्षीय किशोरावस्था में चरण रख रहे बच्चों की बौद्धिक क्षमताओं को ध्यान में रखा गया है।

विविधता की अवधारणा

पाठ एक कल्पित शिक्षक एवं कक्षा के विद्यार्थियों के बीच चल रहे संवाद के रूप में विकसित किया गया है। संवाद और पाठ दोनों ही कल्पित बच्चों द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों की मदद से आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे बच्चे की छवि उभरती है जो अवधारणाओं के विभिन्न पहलुओं और सामाजिक जटिलताओं से परिचित है, फिर भी शिक्षक से जानने के लिए उत्सुक है। विविधता पर पहला पाठ शुरू ही एक विद्यार्थी के प्रश्न से होता है कि क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां सभी लोग एक जैसे और एक समान हैं। बच्चे की जिज्ञासा का कारण पूछे बिना शिक्षक एक प्रश्न के रूप





में ही जवाब देता है कि विविधता के बिना कोई जगह संभव ही नहीं है। प्रश्न में समानता और एक जैसे होने को पर्याय की तरह प्रस्तुत होते हैं लेकिन उस पहलू पर ध्यान दिए बिना ही शिक्षक के संवाद में दूसरे वाक्य की तीसरी ही पंक्ति में विविधता शब्द आ जाता है और अगले दो वाक्यों में उसकी व्याख्या हो जाती है। व्याख्या में विविधता को एक व्यक्ति की कई अस्मिताओं की तरह प्रस्तुत किया गया है। पहले से जानने के लिए आतुर विद्यार्थी और उत्तर देने के लिए तत्पर शिक्षक के इस संक्षिप्त संवाद में विविधता की समझ 7 वाक्यों में बन जाती है और फिर एक और विद्यार्थी विविधता में निहित जटिलता के बारे में प्रश्न पूछ लेता है। इस तरह से शब्दों की कृत्रिमता और अवधारणाओं को गिने-चुने वाक्यों में समझा देने की जल्दी पूरे पाठ पर छाई रहती है। जटिलता के प्रश्न का उत्तर साढ़े तीन पंक्तियों में पाकर एक अन्य विद्यार्थी यह प्रश्न पूछ लेता है कि विविधता हमारे जीवन में कैसे काम करती है। एक पृष्ठ पर छपी 15 पंक्तियों में लिखे गए छोटे-बड़े 16 वाक्यों में विविधता, उसमें निहित जटिलता एवं उसकी भूमिका की अवधारणा प्रस्तुत कर दी गई है। विविधता की भूमिका को दरअसल उसके भारतीय समाज के लिए एक फायदे के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

''विविधता हमारे ज्ञान के दायरे को बढ़ाती है। हमें तरह-तरह की चीजें देती है। हमारे पास बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं। उनमें से हम कुछ भी चुन सकते हैं। भाषा हो या साहित्य, संगीत हो या नृत्य, खान-पान हो या वेशभूषा सभी विविधता से ओत प्रोत हैं।'' (सामाजिक और राजनैतिक जीवन, कक्षा 6, पृ. 60)

अवधारणा की प्रस्तुति एवं उसकी व्याख्या की दृष्टि से परखें तो यह पाठ काफी कमजोर महसूस होता है। नीचे दी गई तालिका में हरेक पृष्ठ पर प्रस्तुत की गई अवधारणाओं की संख्या दी गई है। इस तालिका की मदद से उस गति का अहसास मिलता है जिससे लेखकों के लिए किशोरावस्था की तरफ अग्रसर बच्चों के मन मे अवधारणात्मक विकास संभव है।

पृष्ठ संख्या	वाक्यों की संख्या	अवधारणाओं की संख्या
60	18	3
61	7	3
62	17	4
63	6	2, बहुत सारी जानकारी के साथ
64	12	4
65	12	3
66	24	4

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में सामाजिक प्रक्रियाओं पर एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण के विकास की बात पर जोर दिया गया था, वह इतनी तेजी से भाग रही विषयवस्तु में संभव नहीं है और इसलिए राजस्थान की इन पुस्तकों में हो भी नहीं पाया है। विविधता का अत्यंत महत्त्वपूर्ण मुद्दा नाना प्रकार की सांस्कृतिक एवं भौगोलिक प्रक्रियाओं के अस्तित्व में होने की तरह प्रस्तुत होकर रह गया है। उसमें निहित एवं उसके कारण प्रचलित विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच की ऊंच-नीच को कहीं भी जगह नहीं मिली है। दरअसल पाठ के अंत होते-होते एक बच्चा यह भी पूछ लेता है कि इतनी विविधता के बावजूद देश एकता के धागे में कैसे बंधा हुआ है। काल्पनिक शिक्षक के उत्तर में भौगोलिक बनावट, चक्रवर्ती सम्राट, संविधान, बाजार, कारखाने एवं लोगों की साथ मिलकर चलने की भावना ने देश को एकता के धागे में बांध रखा है। पहले पाठ के अंत तक आते-आते यह स्पष्ट हो जाता है कि विषयवस्तु को लिखने या विकसित करने के लिए भले ही प्रसंग राजनीतिक-सामाजिक जीवन से लिए गए हों लेकिन उनका दिक्विन्यास पुराने विषय नागरिक शास्त्र जैसा ही है। बिना गहराई में जाए और पाठक को किसी एक मुद्दे पर बिना विस्तार से सोचने का मौका दिए, पाठ भारत के गुणगान में मग्न प्रतीत होता है जिसमें सूचना का एक भंडार शामिल है। दो वाक्यों में सिमटा 'चक्रवर्ती सम्राट एवं बादशाहों' से वैधानिक संविधान तथा इकहरी नागरिकता का शताब्दियों से गुजरा लंबा सफर इस पाठ में बिना किसी जटिलता के बहुत ही सरल रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें नागरिक शास्त्र का चिर-परिचित सरलीकरण का रवैया काफी स्पष्ट रूप से महसूस होता है। साथ ही पाठ में स्कूलों में प्रचलित सामाजिक ज्ञान विषय के लिए उपयोगी बहुत-सी जानकारी उपलब्ध है जैसे कि कौनसे राज्य में कौनसा नृत्य किया जाता है।

इस इकाई के दूसरे पाठ में इस बात पर विचार किया गया है कि विविधता के बावजूद देश के लोगों में एकता है, भेदभाव और असमानता क्या है एवं रूढ़छवियां लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभवित करती हैं। विविधता में भेदभाव एवं असमानता निहित है, इस बात को कहने का साहस यह पाठ बिल्कुल भी नहीं कर पाता। भारत के समाज में असमानता व्याप्त है, पाठ की विषयवस्तु यह कहने से भी बचती है। पाठ की पहली ही पंक्ति में ही भेदभाव की व्याख्या कर दी गई हैः

''विविधता के कारण जब लोग 'अपनों' के साथ एकजुट होकर 'दूसरों' के साथ भेदभाव करते हैं तो असमानता पैदा होती है।'' (पृ. 69)

भिन्नता को लोगों में मौजूद अलग तरह की प्रतिभा बताया गया है। विविधता की अभिव्यक्ति कौशलों, लोगों की क्षमताओं एवं निपुणताओं के रूप में देखी गई है। पाठ के अनुसार समाज में निपुणताओं के आधार पर वर्गीकरण भी होता है और यह वर्ग लोगों के पेशों के आधार पर बनते हैं। भारतीय समाज में हमेशा से मौजूद जाति आधारित वर्गीकरण का जिक्र मात्र भी यहां पढ़ने को नहीं मिलता। पाठ में दी गई पूर्वाग्रह की परिभाषा को पढ़कर वयस्क भी समझने में असमर्थ महसूस करेंगे कि पूर्वाग्रह होता क्या है।

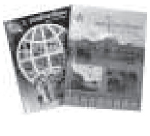
''अपनी स्थिति और सोच को सही और श्रेष्ठ मानकर दूसरों के बारे में धारणा बनाना पूर्वाग्रह है। अक्सर यह देखने को मिलता है कि लोग अपने दिमाग में धारणाएं बना लेते हैं चाहे वे धारणाएं परखी हुई न हो।'' (पृ. 70)

इस परिभाषा के निहितार्थ हैं कि धारणाएं परखी जानी चाहिएं और परखी जा सकती हैं। बहुत जल्दी से समझा देने की मंशा से लिखे गए इन पाठों में बहुत से ऐसे अटपटे, गलत एवं भ्रामक विचार भरे हुए हैं जिसके कारण अवधारणाओं की प्रस्तुति में गलतियां एवं हल्कापन महसूस होता है। आम बोलचाल की भाषा के जुम्लों का प्रयोग भरपूर है जिससे भाषा में विषय आधारित गंभीरता विकसित नहीं हो पाती। विविधता के बावजूद देश में सब एकता के धागे में बंधे हुए हैं, ऐसा ही जुम्ला है जो पाठ्यवस्तु को गंभीर नहीं होने देता। राजनीति विज्ञान एवं समाजशास्त्र के विषयों में विकसित की गई सैद्धांतिक समझ का सहारा पाठ्यपुस्तक लेखन के समूह ने बिल्कुल भी नहीं लिया है। इसलिए अवधारणाओं के विकास में अकादमिक गहनता एवं गहराई नहीं दिखती है बल्कि एक बचकानापन झलकता है। महात्मा गांधी के साथ हुए भेदभाव की चर्चा के बाद राजस्थान के समाज में मौजूद विभिन्न समूहों में व्याप्त पूर्वाग्रहों एवं हाशिए पर जीवन बिता रहे समूहों के साथ हो रहे भेदभावों पर कोई चर्चा नहीं है। निम्न एक वक्य में राजस्थान का संदर्भ आया है, जबकि 2005 की पाठ्यचर्या से व्यतिक्रम की चर्चा करते समय दस्तावेज में यह दावा था कि राजस्थान के संदर्भ को प्राथमिकता दी गईः

''दक्षिण राजस्थान के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र में गोविन्द गुरू के नेतृत्व में भगत आंदोलन के द्वारा भी सामाजिक सुधार और समानता के लिए संघर्ष किया गया था।'' (पृ. 72)

चाहे लक्षित पाठक हो यानी किशोरावस्था की तरफ कदम बढाता बच्चा या एक वयस्क पाठक, उपरोक्त वाक्य समय एवं यथार्थ की दृष्टि से उतना ही अबूझ है जितना की खोखला। अगले पृष्ठ पर एक रंगीन बॉक्स में इस आंदोलन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी गई है जो कि गोविंद गुरू के गुणों का बखान है न कि आंदोलन की व्याख्या। जेण्डर के आधार पर पुरुष एवं स्त्री में असमानता को एक वाक्य में असमानता के उदाहरण की तरह जिक्र भर किया गया है। इस संदर्भ में राजस्थान की बाल विवाह की ज्वलंत समस्या पर चर्चा तो दूर उसका जिक्र भी नहीं है। ऊपर वर्णित सामाजिक सुधार के जिक्र से एक छवि उभरती है कि जैसे आज का राजस्थान भेदभाव एवं असमानता के संघर्षों पर विजय पा चुका है। संघर्ष करने के लिए कुछ बचा नहीं है और इसलिए हमारा देश 'अतुल्य भारत' है (पृ. 72)। भारत सरकार द्वारा दिए गए इस राजनीति एवं पर्यटन मुखी नारे का राज्य की पाठ्यपुस्तक में उल्लेख इस बात को स्थापित करता है कि इन पुस्तकों का स्तर बहुत ही निम्न है एवं विषय के प्रति गंभीरता बिल्कुल भी नहीं है। 2005 की रूपरेखा पर आधारित राष्ट्रीय परिषद् की पुस्तकें आने के बाद कई निजी प्रकाशकों ने आनन-फानन में नई पुस्तकें छापीं जो अब निजी स्कूलों में चल भी रही हैं। उन पुस्तकों में राष्ट्रीय परिषद् की पुस्तकों की एक





भोंथरी एवं सस्ती नकल है। उन्हीं शीर्षकों का इस्तेमाल करके विषयवस्तु में गंभीरता एवं आलोचनात्मक विस्तार का अभाव है। भारत एवं उसके संविधान के संघर्षों को इक्का-दुक्का वाक्यों की जगह मिली है जो ज्यादातर अबूझ हैं। राजस्थान सरकार द्वारा लिखी गई इन पुस्तकों का हाल भी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुस्तक लिखने वालों ने इन मुद्दों पर मौजूद साहित्य की एकदम ही अनदेखी की है। 11-12 वर्ष के बच्चे 'फॉर्मल ऑपरेशनल चरण' में प्रवेश कर रहे होते हैं अर्थात् अपने जीवन की अनियमितताओं का महसूस कर उनके बारे में अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता पाना शुरू कर चुके होते हैं। ऐसे में अत्यंत कृत्रिम, सरलीकृत एवं अबूझ वाक्यों से भरे पाठ उनको समाज के बारे में सोचने के लिए प्रेरित बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस विषय के पाठों की विषयवस्तु बहुत ही निम्न कोटि की है जिसको पढ़ते जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। वह पहले लागू नागरिक शास्त्र के पाठों की तरह विद्यार्थी के जीवन से बिल्कुल जुदा एक अर्थहीन एवं सारहीन शास्त्र की तरह चलती जाती है। दरअसल, यह राष्ट्रीय पाठ्चर्या की रूपरेखा 2005 से असली व्यतिक्रम की तरह उभरता है न कि वह जो दस्तावेज में वर्णित था।

गतिविधि एवं तस्वीर : शिक्षणशास्त्रीय औजार

राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में इस पहलू पर जोर दिया गया था कि गतिविधियां एवं तस्वीरें पाठ में प्रस्तुत चर्चा के अभिन्न अंग और उसको आगे बढ़ाने में कारगर होने चाहिएं। राजस्थान की पुस्तकों में पाठों के मध्य में जगह-जगह 'आओ करके देखें' शीर्षक से गतिविधियां दी गई हैं। करके देखें से प्रतीत होता है कि जैसे करके देखने के बाद करने वाले को कुछ देखने को मिलेगा यानी कोई सैद्धांतिक बिंदु स्पष्ट होगा। नीचे 'आओ करके देखें' शीर्षक के तहत दी गई गतिविधियों की एक सूची दी गई हैः

- आपके घर में कौनसे त्यौहार मनाए जाते हैं और कैसे?
- अपने पड़ोसी राज्यों की भाषाओं के नाम लिखो।
- विविधताओं से हमें क्या प्राप्त होता है?
- अपने क्षेत्र में खान-पान तथा उद्योग में पैदा होने वाली विभिन्न वस्तुओं के नाम बताएं।
- आपके आस-पास के प्रमुख धार्मिक स्थल कौन-कौन से हैं?
- मिले सुर मेरा तुम्हारा इस गीत को किसने लिखा और यह कितनी भाषाओं में गाया गया है। शिक्षक से जानकारी प्राप्त करें।

जाहिर है कि उपरोक्त सभी गतिविधियों में करके देखने के लिए कुछ नहीं है। दरअसल यह नागरिक शास्त्र के चिर-परिचित प्रश्न हैं जिनको पाठ में इधर-उधर कई जगहों पर दिया गया है, पाठ के अंत में सीमित नहीं किया गया है। इनके उत्तर पाने, लिखने या पूछने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को कुछ 'करने' या 'देखने' का मौका मिलने की संभावना नहीं है। शिक्षक से जानकारी लेने या खान-पान तथा उद्योग में पैदा होने वाली विभिन्न वस्तुओं की सूची बनाते समय दिमागी निष्क्रियता पूरी तरह हावी रह सकती है जो कि नागरिक शास्त्र में रहती थी। यह उस तरह की गतिविधियां नहीं हैं जो चिंतन की मांग करें और विद्यार्थी को सभी पहलुओं पर विचार कर अपनी मौलिक राय बनाने के मौके दें। प्रमुख बात है कि यह गतिविधियां ही नहीं हैं, यह सिर्फ प्रश्न हैं जो चर्चा को आगे बढ़ाने में किसी भी तरह की भूमिका नहीं निभाते। इनका उत्तर देने से समझ में कोई इजाफा नहीं होता और उत्तर न देने से सीख या ज्ञान के किसी पहलू में कोई नुकसान नहीं होता। यह पुस्तक में एक तरह की सजावट की वस्तु की तरह हैं जिनको सरसरी तौर पर देखने से लगता है कि अच्छे पाठ के आयामों पर ध्यान दिया गया है और बीच-बीच में गतिविधियां डाली गई हैं।

तस्वीरों एवं चित्रों की दशा और भी कमजोर है। इसके दो कारण हैंः एक, पुस्तक के निर्माण में इस्तेमाल कागज निचले दर्जे का है और दूसरा, चित्रों को उनकी अकादमिक भूमिका की नजर से देखा नहीं गया है। चित्र में एकल परिवार में सिर ढंके एक औरत, एक आदमी और दो बच्चे हैं और संयुक्त परिवार में दादा-दादी स्वरूपी दो वृद्ध लोग अतिरिक्त हैं। खेती के चित्र में पुरुष हल जोत रहा है एवं महिला बीज छिड़कने का हल्का काम करती दिखाई गई है। डॉक्टर एक पुरुष है और भांगड़ा को छोड़कर लोक नृत्यों में अधिकतर महिलाएं हैं। राजस्थानी महिलाओं के पहनावे को दर्शाने के लिए दो महिलाओं का चित्र दिया गया है जिन्होंने दो तरह के लहंगे पहन रखे हैं, एक के सिर

पे घूंघट है और एक का सिर ढंका हुआ है। दोनों ने ही बड़ी-बड़ी नथनी और अन्य गहने पहन रखे हैं। क्या राजस्थान में कोई औरत या लड़की नहीं है जो लहंगा या इतनी बड़ी नथनी नहीं पहनती या जो घूंघट नहीं ओढ़ती। एक तरफ तो पाठ राजस्थानी समाज में महिलाओं की गैर-बराबर स्थिति पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं कर रहा और दूसरी तरफ चित्र बहुत ही रूढ़छवि प्रस्तुत करता है। बाल विवाह, लड़की होने पर भ्रूण हत्या एवं दहेज आधारित हिंसा राजस्थान के लिए विशाल समस्याएं हैं, उनका आलोचनात्मक विश्लेषण तो दूर जिक्र मात्र भी नहीं है। ऊपर से चित्रों में दबी-ढकी औरत को प्रस्तुत किया गया है। जिस तरह से सालों-साल से जयपुर का मशहूर पर्यटन स्थल चौखी ढाणी घूंघट में सिमटी और गहनों से दबी महिलाओं को पेश कर राजस्थान की तस्वीर प्रस्तुत करता रहा है कुछ ऐसी ही तस्वीर यह पाठ्यपुस्तकें भी पेश करती हैं। भेदभाव और असमानता शीर्षक के पाठ में इस मुद्दे को छूआ भी नहीं गया है और विविधता दर्शाते समय उन्हीं परिचित बिंबों का सहारा लिया गया है जिनमें राजस्थान समेत भारतीय महिलाओं का पारंपरिक शोषण गहरे समाहित है।

राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में पाठ्यपुस्तक निर्माण के अन्य पहलुओं के महत्त्व पर ध्यान देने की मांग की गई है जिनमें पृष्ठ के खाके एवं उसकी डिजाइनिंग पर काम करने की बात कही गई है। इससे बच्चों के लिए पुस्तक आकर्षक बनती है और चित्रों की अकादमिक भूमिका को बल मिलता है। राजस्थान की इन पुस्तकों के चित्र बुझे-बुझे प्रतीत होते हैं एवं डिजाइनिंग बहुत ही नीरस। एक कॉरपोरेट समूह से वित्तीय मदद मिलने के बावजूद पाठ्यपुस्तक निर्माण के इस जरूरी आयाम पर खर्चा नहीं किया गया। आवरण पृष्ठ से ही नीरसता हावी होनी शुरू हो जाती है और अंत तक बनी रहती है। एक पाठ के विभिन्न पृष्ठों में कोई संतुलन दिखाई नहीं देता। किसी पृष्ठ पर वाक्य बहुत ज्यादा हैं और किसी पर चित्र। अधिकतर तस्वीरें अस्पष्ट हैं जिससे पता चलता है कि छपाई की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए तस्वीरों का चयन नहीं किया गया है। पृष्ठ 84 पर स्टोरी बोर्ड दिया गया है जिसमें तीन लोगों के बीच मतदान को लेकर एक संवाद चल रहा है। हालांकि सही मायनों में वह संवाद है ही नहीं क्योंकि पूछने वाला गरीब व्यक्ति ठीक उसी तरह सवाल कर रहा है जैसे विविधता के पाठ में बच्चे कर रहे हैं। अवधारणा के सभी पहलुओं पर आगे प्रश्न पूछे हैं ताकि ज्ञानी व्यक्ति जवाब देता जाए और बाल-केंद्रित संवाद प्रस्तुत हो जाए। अगर हम इस संवाद को पढें तो पाते हैं कि पूछने वाले के प्रश्न और जवाब देने वाले के जवाब में निरंतरता नहीं है।

प्रश्न : मैं भी अपने परिवार के साथ मतदान कर सरकार में भागीदार बनूंगा।

उत्तर/प्रतिक्रिया : तो हम उसे बदल सकते हैं क्योंकि सरकार के कार्यों को देखना, उनकी आलोचना करना और बदलना जनता का ही काम है।

गौर से देखने पर पता चलता है कि उत्तर तीसरे व्यक्ति द्वारा पूछे गए प्रश्न का है और दिया गया है किसी और की तरफ मुंह करके। यह गलती डिजाइनिंग की है। इन चित्रों को व्यवस्थित करते समय यह ध्यान नहीं दिया गया कि संवाद किसी तरह आगे बढ़ रहा है। संकल्पना के स्तर पर कमजोर संवाद ऐसी गलती के कारण हास्यास्पद हो गया है और अपनी अकादमिक भूमिका को निभाने में असमर्थ।

राजस्थान की पुस्तकें नयेपन का भ्रम भी पैदा करने में असमर्थ हैं। पाठ्यपुस्तक लेखन एवं उसके निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर यह पाठ्यपुस्तकें बहुत ही कमजोर साबित हुई हैं। नागरिक शास्त्र की पुस्तकें जिन समस्याओं से ग्रस्त थीं, राजस्थान की सामाजिक-राजनीतिक जीवन विषय की पुस्तकें भी उन्हीं समस्याओं से ग्रस्त हैं। पाठ्यपुस्तक लेखन समूह नए विषय की संकल्पना और उसके सैद्धांतिक बिंदुओं को समझ नहीं पाया है। समूह पर नागरिक शास्त्र का ढांचा हावी रहा है। जैसा कि इस लेख के शुरू में भी जिक्र किया गया है कि इसका एक कारण समूह के सदस्यों में ऐसे लोगों की कमी है जिन्होंने इन मुद्दों पर या तो जमीनी संघर्ष किए हैं या सैद्धांतिक समझ विकसित की है। शीर्षक बदलने भर से ज्ञान का नया स्वरूप जन्म नहीं ले सकता न ही विद्यार्थियों के सीखने के अनुभव में कोई नयापन आता है। विद्यार्थियों को कुंजीनुमा सरलीकृत व्याख्या देने के आवेग से जब तक हम ग्रसित रहेंगे तब तक यशपाल समिति की अनुशंसाओं और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में प्रस्तुत शिक्षा के स्वरूप को चरितार्थ करने में असमर्थ रहेंगे। ◆

